समाचार

'' जो भी करें– बेहतर करें ''

बुधवारी बाजार के बहुरेंगे दिन, होगा कायाकल्प – आयुक्त ने भ्रमण के दौरान प्रस्ताव तैयार करने दिए निर्देश

(आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय की अगुवाई में निगम की एक्शन टीम ने महाराणा प्रताप चौक, जैन चौक, बुधवारी बाजार से व्ही.आई.पी.रोड होते हुए साकेत भवन तक किया पैदल मार्च)

(सड़क फुटपाथ पर अवैध कब्जा, दुकानों में डस्टबिन न रखनें, गंदगी करने, सी.एण्ड डी.वेस्ट रेत गिट्टी की डम्पिंग के विरूद्ध की सघन कार्यवाही)

कोरबा 01 जुलाई 2025 –कोरबा शहर के बुधवारी बाजार के दिन अब एक बार फिर बहुरेंगे, बाजार का कायाकल्प होगा, व्यवस्थाएं सुधरेंगी तथा अव्यवस्था व गदंगी दूर होंगी। आज आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने बुधवारी बाजार का सघन रूप से निरीक्षण कर बाजार के पसरों की मरम्मत करने, पुराने शेडों को बदलने, सम्पूर्ण बाजार के चारों ओर वाल व ग्रील स्थापित कर सीमांकित, सुरक्षित व व्यवस्थित करने संबंधी कार्यो का

प्रस्ताव तैयार कराने तथा नियमित सफाई कार्य करने व व्यवस्थाओं पर सतत नजर रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

यहॉ उल्लेखनीय है कि कोरबा शहर की व्यवस्थाओं को सुधारने, सड़क फुटपाथ को अवैध कब्जों से निजात दिलाने, कोरबा को साफ–सुथरा व स्वच्छ स्वरूप देने, बाजारों व्यवसायिक व आवासीय क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने की दृढ़ इच्छाशक्ति रखने वाले निगम आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय प्रतिदिन सुबह–सुबह निगम की एक्शन टीम के साथ कोरबा शहर के अलग–अलग क्षेत्रों में 02 से 03 घंटे पैदल भ्रमण कर व्यवस्था सुधार का कार्य कर रहे हैं। '' जो भी करें–बेहतर करें '' की थीम व मूलमंत्र के साथ चलाए जा रहे इस अभियान की अगली कड़ी में आज आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय की अगुवाई में निगम की एक्शन टीम ने महाराणा प्रताप चौक, जैन चौक, बुधवारी बाजार से व्ही.आई.पी.रोड होते हुए साकेत भवन तक पूरे लाव–लश्कर के साथ पैदल मार्च किया। आयुक्त श्री पाण्डेय ने सम्पूर्ण बुधवारी बाजार का पैदल भ्रमण करते हुए बाजार के चारों ओर 05 फिट की वाल निर्मित वाल निर्मित कर तथा वाल पर 02 फुट ऊंची ग्रील लगाकर बाजार को सुरक्षित, व्यवस्थित व सीमांकित किए जाने हेतु तत्काल प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होने बुधवारी बाजार में पसरों का मरम्मत व सुधार कार्य करने, जीर्ण–शीर्ण व पुराने शेड का बदलने तथा बाजार के अंदर सम्पूर्ण पाथवे का मरम्मत व सुधार कार्य करने संबंधी निर्माण कार्य का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किए जाने के निर्देश भी दिए।

सफाई ठेकेदार को लगाया 05 हजार रू. अर्थदण्ड – बाजार परिसर में कचरे का समय पर उठाव न होने एवं कचरे की डम्पिंग देखकर आयुक्त श्री पाण्डेय ने संबंधित स्वच्छता कार्य एजेंसी के प्रतिनिधि एवं स्वच्छता निरीक्षक को फटकार लगाते हुए नाराजगी जाहिर की तथा स्वच्छता कार्य एजेंसी पर 5000 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किए जाने के निर्देश स्वास्थ्य अधिकारी को दिए। उन्होने बाजार के परिसर में नियमित रूप से समय पर सफाई कार्य करने एवं अपशिष्ट का तुरंत उठाव करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह अंतिम रूप से सुनिश्चित करें कि बाजार परिसर साफ–सुथरा रहें।

दुकानों में डस्टबिन न रखने पर लगाएं जुर्माना – आयुक्त श्री पाण्डेय ने बाजार के पसरों में संचालित सब्जी, फल आदि की दुकानों का निरीक्षण किया तथा दुकानों में डस्टबिन न रखें जाने एवं पसरों के सामने दुकान से निकले अपशिष्ट को डालने पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए दुकानदारों से कहा कि वे आज से ही बड़ी साईज के हरे डस्टबिन दुकानों पर रखना सुनिश्चित कर लें अन्यथा कार्यवाही होगी। उन्होने निगम के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि दुकानों का दिन में दो बार निरीक्षण करें तथा जिन दुकानों में डस्टबिन न रखें हों व उनके द्वारा पसरों के सामने गंदगी फैलाई जा रही है, उन पर अर्थदण्ड आरोपित करें।

अवैध कब्जा, सी.एण्ड डी.वेस्ट पर कार्यवाही – भ्रमण के दौरान निगम की एक्शन टीम ने सड़क फुटपाथ पर कब्जा करने, गंदगी फैलाने, सी.एण्ड डी.वेस्ट व रेत गिट्टी आदि की सड़क पर डम्पिंग करने पर कार्यवाही की, अर्थदण्ड लगाया तथा अवैध कब्जों को हटाने व रेत गिट्टी, सी.एण्ड डी.वेस्ट को स्थल से तत्काल हटाने के निर्देश संबंधितों को दिए। उन्होने बुधवारी बाजार के सामने सड़क के दूसरी ओर किए गए बेजा कब्जा को हटाने हेतु नोटिस जारी करने तथा संबंधितों द्वारा स्वयं बेजा कब्जा न हटाने पर निगम के अतिक्रमण दस्ते द्वारा कब्जा हटाए जाने की कार्यवाही किए जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

ग्रील के अंदर फुटपाथ पर कब्जा, दिए हटाने के निर्देश – यहॉ उल्लेखनीय है कि बुधवारी बाजार चौक को व्यवस्थित करने, सड़क पर सजने वाली दुकानों के कारण वहॉ की बिगड रही यातायात व्यवस्था को सुधारने तथा स्थल का सौदंर्यीकरण करने के मद्देनजर आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के निर्देश पर निगम द्वारा फुटपाथ पर ग्रील लगाकर वहॉ का सौदंर्यीकरण का कार्य कराया गया था, ग्रील लगी होने के बावजूद दर्जनों लोगों द्वारा ग्रील के अंदर फुटपाथ पर पुनः कब्जा कर लिया गया था, आयुक्त श्री पाण्डेय ने इस पर गहरी नाराजगी जाहिर की तथा इन अवैध कब्जाधारियों को फुटपाथ से तत्काल हटाने व उक्त दीवाल में पेंटिंग्स कार्य कर वहॉ का सौदंर्यीकरण किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

सार्वजनिक स्थल पर ब्लैक स्टोन टाईल्स की डम्पिंग, 02 हजार रू. अर्थदण्ड – बुधवारी से व्ही. आई.पी. रोड पर सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थल पर अपना सीमेंट हाउस प्रतिष्ठान के संचालक द्वारा ब्लैक स्टोन टाईल्स की डम्पिंग की गई थी, साथ ही निगम के द्वारा निर्मित ग्रीलयुक्त फुटपाथ पर भी उक्त टाईल्स डम्प किए गए थे। आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने इस पर गहरी नाराजगी जाहिर की तथा 02 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाए जाने व तत्काल उक्त स्थल से ब्लैक स्टोन टाईल्स हटाने के निर्देश दिए।

रेस्टोरेंट में गदंगी, लगा जुर्माना – आयुक्त श्री पाण्डेय के निर्देश निगम के स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा बुध्वारी बाजार व्ही.आई.पी.रोड पर स्थित रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान स्वल्पाहार खाद्य सामग्री खुले में रखकर बेची जा रही थी, उसे कवर नहीं किया गया था, मिष्ठान व खाद्य सामग्री पर मक्खियॉ भिनभिना रही थी तथा रेस्टोरेंट में गदंगी पसरी थी, इस पर कार्यवाही करते हुए रेस्टोरेंट संचालक पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई, साथ ही कड़ी हिदायत दी गई कि वे खाद्य सामग्रियों को कवर करके रखें तथा रेस्टोरेंट की स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता सुरेश बरूआ, जोन कमिश्नर भूषण उरांव व प्रकाश चन्द्रा, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी, वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक सुनील वर्मा, सहायक अभियंता राहुल मिश्रा, पीयूष राजपूत, सुनील टांडे, जनसंपर्क अधिकारी रावेन्द्र सिंह, राजस्व अधिकारी, अनिरूद्ध सिंह, उप जोन प्रभारी सुमित गुप्ता, स्वच्छता निरीक्षक सचीन्द्र थवाईत, प्रिंस सिंह ठाकुर, पी.आई.यू. धनमोहन रात्रे, पंकज गभेल, लालू शुक्ला, रथराम राठौर, अजय टांडे, श्रवण कुमार झा आदि के साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।